बिहार सरकार

उद्योग विभाग

संकल्प 05.01.15

पत्रांक: 09 /पटना, दिनांक:–

स0सं0– डी0टी0डी0/02–04/2010

औद्योगिक प्रोत्साहन(संशोधन) नीति, बिहार, 2014

राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 लागू की गई है, जो दिनांक 01.07.11 से अगले 5 वर्षों तक अर्थात् दिनांक 30.06.2016 तक प्रभावी है। इस नीति के प्रावधान के अधीन मध्यावधि समीक्षा की गई जिसके आलोक में राज्य सरकार, बिहार एतद द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 में संकल्प निर्गत करने की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करती है:–

1. **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार–2011 की कंडिका–3(ii)(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:–**

(ग) " भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट **"उत्पादन पूर्व देने"** का प्रावधान इस शर्त के साथ होगी कि यदि कोई इकाई भूमि सम्परिवर्तन के बाद उत्पादन में नहीं आती है तो भूमि सम्परिवर्तन शुल्क सूद के साथ लौटाना होगा। इकाई को भूमि सम्परिवर्तन छूट के समतुल्य राशि का बैंक गारंटी समर्पित करना होगा। इकाई के उत्पादन में आने के बाद बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी।"

2. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार–2011 की कंडिका–3 की उप कंडिका– (iii) के बाद निम्नलिखित तीन नई उप कंडिकाएँ–(iv), (v) एवं (vi) जोड़ी जाएंगी:–

"(iv) कार्यरत इकाइयों के लिए वैट/प्रवेश–कर की प्रतिपूर्ति की अधिसीमा पूँजी निवेश का 300 प्रतिशत तक देय होगा। ब्रिवरी एवं डिस्टलरी के केस में कार्यरत इकाइयों को 25 प्रतिशत वैट की प्रतिपूर्ति एवं अधिकतम सीमा पूँजी निवेश का 300 प्रतिशत देय होगा। जिन इकाइयों ने विनिश्चित सीमा से अधिक लाभ पूर्व में ले चुके हैं, उनसे पुनः वसूली नहीं की जाएगी।

(v) वैसी नई इकाइयॉं जिनका कुल पूँजी निवेश 200 करोड़ रू0 से कम है, उनके द्वारा सी0एस0टी0 मद में भुगतान की गई राशि को वैट की 80 प्रतिशत की राशि की प्रतिपूर्ति में सम्मिलित की जाएगी लेकिन यह वैट प्रतिपूर्ति राशि विनिश्चित अधिकतम राशि पूँजी निवेश के 300 प्रतिशत की सीमा के भीतर देय होगी।

बृहत् प्रक्षेत्र की नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादन में आने के बाद, प्रवेश–कर मद में भुगतान की गई राशि को, वैट की 80 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति में सम्मिलित की जाएगी। प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि पूँजी निवेश का 300 प्रतिशत की सीमा के भीतर देय होगी।

(vi) वैसी औद्योगिक इकाई जिन्हें वैट नहीं देना पडता है लेकिन उत्पादन के लिए मंगाए गए कच्चे माल पर प्रवेश–कर लगता है, उन्हें प्रवेश–कर में भुगतान की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। "

3. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका–2 (vii) (क) में प्रयुक्त शब्दों **"जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रू0(पचहत्तर लाख रू0) होंगी"** विलोपित किए जाएंगे।

4. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका–2 की उप कंडिका–(vii)(घ) के बाद निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा:

" परन्तु औद्योगिक इकाइयों में स्थापित होने वाले प्लान्ट एवं मशीनरी के अतिरिक्त उत्पादन में सीधे तौर पर उपयोग होने वाले सभी इक्युपमेन्ट पर पूँजीगत अनुदान देय होगी, जिनके क्रय हेतु किये गये व्यय को इकाई द्वारा अपने Audited Books of Accounts या Statutory auditor के रिपोर्ट में पूँजीगत व्यय (Capital expenditure) के रूप में दर्शाया गया हो एवं वैसे सामग्रियों पर किये गये व्यय को इकाई द्वारा अपने Profit & Loss Accounts में राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) के तौर पर दावा नहीं किया गया हो और उस पर Chartered Accountant की संपुष्टि आवश्यक है।"

5. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार–2011 की कंडिका–2(V)(क) का अंतिम वाक्य निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

" अनुदान की अधिकतम सीमा एस0पी0भी0 कंपनी के लिए 50 (पचास) करोड़ रू0 एवं अन्य कंपनी/इकाई के लिए 40(चालीस) करोड़ रू0 विनिश्चित होगी।

कैपटिव पावर जेनरेशन/डी0जी0 सेट के प्लांट एवं मशीनरी में यू0पी0एस0, इनभर्टर तथा स्टेबलाईजर भी शामिल होंगे।

वैसी इकाइयाँ, जो विद्युत कनेक्शन लिए बगैर डी0जी0 सेट/कैपटिव पावर जेनरेशन से उत्पादन करती हैं, उनके लोड अवधारण के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा मनोनित उद्योग सेवा संवर्ग के अधिकारी(न्यूनतम ग्रेड पे रू0 7600), उद्योग मित्र द्वारा इम्पैनल्ड इलेक्ट्रीकल इन्जीनियर (बी0ई0/बी0टेक0) एवं ऊर्जा विभाग के क्षेत्रीय इलेक्ट्रीकल इन्जीनियर शामिल होंगे।"

6. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की परिशिष्ट–I(परिभाषाएँ) की कंडिका–7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:–

"7 (क) **विस्तार**:– विद्यमान औद्योगिक इकाई का "विस्तार" से अभिप्रेत है उक्त इकाई के संयंत्र एवं मशीनरी के अनअवमूल्यित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक मूल्य का संयंत्र एवं मशीनरी में अतिरिक्त वृद्धि तथा अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में कम–से–कम 50 प्रतिशत की वृद्धि;

(ख) **विशाखन**:– "विशाखन" से अभिप्रेत है विद्यमान औद्योगिक इकाई में अधिष्ठापित संयंत्र एवं मशीनरी के अनअवमूल्यित मूल्य का कम–से–कम 50 प्रतिशत या उससे अधिक मूल्य का संयंत्र एवं मशीनरी में वृद्धि तथा इकाई द्वारा New Product Line स्थापित किया गया हो।

(ग) **आधुनिकीकरण**– "आधुनिकीकरण" से अभिप्रेत है विद्यमान औद्योगिक इकाई में अधिष्ठापित संयंत्र एवं मशीनरी के अनअवमूल्यित मूल्य का कम–से–कम 50 प्रतिशत या उससे अधिक मूल्य का संयंत्र एवं मशीनरी में वृद्धि तथा इकाई के अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में आधुनिकीकरण के फलस्वरूप कम–से–कम 25 प्रतिशत की वृद्धि;

(घ) प्रोत्साहन योग्य होने के लिए विस्तार/आधुनिकीकरण/विशाखन करने वाली इकाइयों को जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जो लागू हो, को लघु एवं मध्यम उद्योग के संबंध में तथा उद्योग निदेशक/निदेशक, तकनीकी विकास को वृहत् उद्योग के संबंध में विस्तार /आधुनिकीकरण /विशाखन कार्य आरम्भ करने के पूर्व सूचना भेजनी चाहिए। इस प्रकार की सूचना के साथ प्रस्तावित अतिरिक्त पूँजी निवेश की निश्चित अवधि दर्शाते हुए विस्तार /आधुनिकीकरण/विशाखन का विवरणात्मक प्रस्ताव भेजा जाना चहिए।"

7. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका–4 की उप कंडिका–(iv) के बाद निम्नलिखित एक नई उप कंडिका– (ivक) अंतःस्थापित की जाएगी:–

" (ivक) नई इकाइयों को भी विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण करने पर इन्क्रीमेन्टल उत्पादन पर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका–2 एवं कंडिका–3 में वर्णित नई इकाईयों को अनुमान्य सुविधाएँ देय होंगी किंतु पूँजीगत अनुदान के मद में वृहत् उद्योगों के विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 2.5 (दो दशमलव पाँच) करोड़ रू0 तथा एम0एस0एम0ई0 की औद्योगिक इकाइयों के विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 1.25 (एक दशमलव दो पाँच) करोड़ रू0 पूँजीगत अनुदान देय होगा।"

8. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका–4 अन्य सुविधाएँ की उप कंडिका– (v) के बाद निम्नलिखित एक नई उप कंडिका– (vi) जोड़ी जाएगी:–

" (vi) औद्योगिक इकाइयों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से टर्मलोन लेने पर, लगने वाले ब्याज दर का 02 (दो) प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा (वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अधिकतम 7 (सात) वर्षों तक देय होगी)। अनुसूचित जाति/जन जाति/महिला एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों को विनिश्चित ब्याज दर के अतिरिक्त 5 प्रतिशत अधिक अनुदान ब्याज दर के रूप में देय होगा।"

9. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 के परिशिष्ट–II (वंचित इकाइयो की सूची) की कंडिका–2, 3 एवं 7 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:–

" 2. आटा मिलें जिनमें बेसन, दाल एवं चूड़ा मिलें सम्मिलित हैं(25 टन प्रतिदिन से कम क्षमता वाली)

3. मसाले, पापड़ इत्यादि बनाना(यांत्रिकीकृत तरीके से मसाले, पापड़ का निर्माण करने वाली इकाइयों को छोडकर)

7. आईस कैंडी तथा आईस फ्रूट का उत्पादन (यांत्रिकीकृत तरीके से आईस कैंडी तथा आईस फ्रूट का उत्पादन करने वाली इकाई जिसमें संयत्र एवं मशीनरी में रू0 01 (एक) करोड़ या अधिक का निवेश हो, को छोड़कर)।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(हस्ताक्षर)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 09 /पटना, दिनांक– 05. 01. 15
रा0स0– डी0टी0डी0/02–04/2010

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

(हस्ताक्षर)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 09 /पटना, दिनांक– 05. 01. 15
रा0स0– डी0टी0डी0/02–04/2010

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 09 /पटना, दिनांक—

सं0सं0— डी0टी0डी0/02–04/2010

प्रतिलिपिः— सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/ प्राधिकार/मंत्री उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Amital

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 09 /पटना, दिनांक— 05.01.15

सं0सं0— डी0टी0डी0/02–04/2010

प्रतिलिपिः— सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पाटलीपुत्रा, पटना/मुख्यमंत्री के सचिव/अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Amital

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 09 /पटना, दिनांक— 05.01.15

सं0सं0— डी0टी0डी0/02–04/2010

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Amital

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 09 /पटना, दिनांक— 05.01.15

सं0सं0— डी0टी0डी0/02–04/2010

प्रतिलिपिः— अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज/अध्यक्ष, सी0आई0आई0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Amital

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 09 /पटना, दिनांक— 05.01.15

सं0सं0— डी0टी0डी0/02–04/2010

प्रतिलिपिः— आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Amital

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।